पत्रांक–2ब०/जला०–01–53/2016 198 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बड़हिया।

पटना, दिनांक–23/01/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' के अंतर्गत नगर पंचायत, बड़हिया को विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹57.64335 लाख (संतावन लाख चौसठ हजार तीन सौ पैंतीस रु०) मात्र में से ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 के द्वारा राज्य के 87 नगर पंचायतों में ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के अंशदान के रूप में कुल ₹3241.60 लाख (बत्तीस करोड़ एकतालीस लाख साठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित की गयी थी। उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश में नगर पंचायत, बड़हिया के लिए विपत्र कोड– **P 2215011930101** एवं **P 2215017890103** से क्रमशः ₹14.51042 लाख एवं ₹43.13293 लाख अर्थात् कुल ₹57.64335 लाख स्वीकृत एवं आवंटित की गयी थी।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया के पत्रांक– 865, दिनांक– 24.05.2016 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 द्वारा ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के अंशदान के रूप में विपत्र कोड– **P 2215017890103** से स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक– 244, दिनांक– 09.04.2016 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

3. वर्णित स्थिति में नगर पंचायत, बड़हिया क्षेत्रान्तर्गत ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के अंशदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विपत्र कोड–**P 2215017890103**

से स्वीकृत एवं आवंटित राशि के कोषागार से निकासी नहीं होने के कारण विभागीय राज्यादेश सं०–197 दिनांक–23/01/17 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में विपत्र कोड– P 2215011930101 से निकासी की गयी राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में विपत्र कोड– P 2215017890103 से निकासी नहीं होने वाली राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में P 2215017890103 से निकासी नहीं होने के कारण वर्तमान में आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर पंचायत, बड़हिया	**57.64335**	**14.51042**	**43.13293**	**43.13293**

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र।

4. आवंटित कुल ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।** राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

5. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–6 के अनुरूप कुल आवंटित राशि ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष 0103– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215017890103,** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष 31 06 सहायक

अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. **सभी योजनाओं का कार्यान्वयन "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" से संबंधित विभागीय संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 एवं विभागीय पत्रांक– 7932, दिनांक– 27.10.2016 द्वारा निर्गत विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुसार कराया जायेगा।**

7. विभागीय संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 6 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 7 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी। इससे संबंधित विभाग से विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से दिये जायेगे।

8. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन मॉडल प्राक्कलन के आधार पर नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) संकल्प की कंडिका– 4 (v) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(v) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा– पथरीला इलाका, जल स्त्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

9. चालू योजना के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस०सी०एस०पी० की निर्धारित आबादी (16 प्रतिशत) उससे लाभान्वित हो।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.1.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–53/2016 198 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 23/01/17

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब० / जला०–01–03 / 2016 197 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–23/01/17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के अंतर्गत नगर पंचायत, बड़हिया को विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹57.64335 लाख (संतावन लाख चौसठ हजार तीन सौ पैंतीस रु०) मात्र में से ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 के द्वारा राज्य के 87 नगर पंचायतों में "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के अंशदान के रूप में कुल ₹3241.60 लाख (बत्तीस करोड़ एकतालीस लाख साठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित की गयी थी। उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश में नगर पंचायत, बड़हिया के लिए विपत्र कोड– **P 2215011930101** एवं **P 2215017890103** से क्रमशः ₹14.51042 लाख एवं ₹43.13293 लाख अर्थात् कुल ₹57.64335 लाख स्वीकृत एवं आवंटित की गयी थी।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया के पत्रांक– 865, दिनांक– 24.05.2016 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 द्वारा "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के अंशदान के रूप में विपत्र कोड– **P 2215017890103** से स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक– 244, दिनांक– 09.04.2016 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

3. वर्णित स्थिति में नगर पंचायत, बड़हिया क्षेत्रान्तर्गत ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के अंशदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विपत्र कोड–**P 2215017890103** से स्वीकृत एवं आवंटित राशि के कोषागार से निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में विपत्र कोड– P 2215011930101 से निकासी की गयी राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में विपत्र कोड– P 2215017890103 से निकासी नहीं होने वाली राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में P 2215017890103 से निकासी नहीं होने के कारण वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर पंचायत, बड़हिया	**57.64335**	**14.51042**	**43.13293**	**43.13293**

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत कुल ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।** राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

5. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–6 के अनुरूप कुल स्वीकृत राशि ₹43.13293 लाख (तेतालीस लाख तेरह हजार दो सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा

सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष 0103– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215017890103,** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. **सभी योजनाओं का कार्यान्वयन "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" से संबंधित विभागीय संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 एवं विभागीय पत्रांक– 7932, दिनांक– 27.10.2016 द्वारा निर्गत विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुसार कराया जायेगा।**

7. विभागीय संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 6 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 7 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी। इससे संबंधित विभाग से विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से दिये जायेगे।

8. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन मॉडल प्राक्कलन के आधार पर नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) संकल्प की कंडिका– 4 (v) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(v) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा– पथरीला इलाका, जल स्त्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

9. चालू योजना के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस०सी०एस०पी० की निर्धारित आबादी (16 प्रतिशत) उससे लाभान्वित हो।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/जला०–01–03/2016 के पृष्ठ सं०– ..09..../टि० पर दिनांक– 02.01.2017... को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– ..11........ /टि० पर दिनांक– ..17.01.2017 को प्राप्त है ।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.1.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–03/2016 197 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 23/01/17

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.17

सरकार के विशेष सचिव।

आमन.